

स0.47(61)/2021- आर.टी.आई. सेल

July 2021

सेवा में,

श्री किशोर कुमार कोचर,
सी-3/73-74, राजस्थानी अपार्टमेंट,
पीतमपुरा, दिल्ली-110034,

विषय:- RTI application Under RTI Act, 2005 – Reg.
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपनी आर.टी.आई. एप्लीकेशन दिनांक 28-06-2021 का अवलोकन करें जो कि इस कार्यालय में दिनांक 01.07.2021 को प्राप्त हुई है। संबन्धित अधिकारी द्वारा आपकी आर.टी.आई. एप्लीकेशन के संबंध में माँगी गई जानकारी निम्नानुसार है:

Sl. No.	Information sought	Information provided
1.	उपरोक्त हेरिटेज प्रॉपर्टी न0 944, मालीवारा, चाँदनी चौक, दिल्ली के बारे में मैंने एक एप्लिकेशन दिनांक 22/03/2021 को स्पीड पोस्ट के द्वारा Heritage Conservation Committee को भेजी थी जो दिनांक 23/03/2021 को Heritage Conservation Committee को रिसीव हो गयी थी। आपने मेरी ये एप्लिकेशन दिनांक 04/06/2021, No.5(2)/2020-HCC से The Commissioner, North DMC, Civic Centre, Minto Road, New Delhi को उचित कार्यवाही करने के लिए भेज दी थी। मुझे प्रूफ/सबूत के साथ लिखित में जानकारी दी जाए कि दिनांक 04/06/2021 से आजतक Commissioner, North DMC, Civic Centre, द्वारा क्या क्या उचित कार्यवाही की गयी हैं।	उतरी दिल्ली नगर निगम द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय में मौजूद नहीं है।
2.	उपरोक्त हेरिटेज प्रॉपर्टी न0 944, मालीवारा, चाँदनी चौक, दिल्ली के बारे में लिखित में प्रूफ/सबूत के साथ जानकारी दी जाए की HCC के रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी में अभी भी/at present हवेली ही है या शोरूम बना हुआ है।	
3.	उपरोक्त हेरिटेज प्रॉपर्टी न0 944, मालीवारा, चाँदनी चौक, दिल्ली के HCC के रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी में अगर शोरूम बना हुआ है तो वह कब से बना हुआ है लिखित में प्रूफ/सबूत के साथ जानकारी दी जाए।	
4.	उपरोक्त हेरिटेज प्रॉपर्टी न0 944, मालीवारा, चाँदनी चौक, दिल्ली कि यह उपरोक्त पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी पूरी हवेली को डेमोलिश करके नई कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग/शोरूम बनाया गया है इसके बारे में लिखित में प्रूफ/सबूत के साथ जानकारी दी जाए कि उपरोक्त पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी/पूरी हवेली को डेमोलिश करने के लिए HCC द्वारा अनुमोदित करवाया गया है या नहीं।	उतरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गयी अंतिम मंजूरी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
5.	उपरोक्त हेरिटेज प्रॉपर्टी न0 944, मालीवारा, चाँदनी चौक, दिल्ली उपरोक्त पुरानी पूरी प्रॉपर्टी हेरिटेज/हवेली को तोड़कर/डेमोलिश कर दिया गया है उपरोक्त हेरिटेज हवेली को तोड़ने/डेमोलिश करने के लिए HCC द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया है तो आज तक HCC ने हेरिटेज हवेली तोड़ने बारे उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की हैं लिखित में प्रूफ/सबूत के साथ जानकारी दी जाए।	

यदि आप उपर्युक्त निर्णय के संबंध में कोई अपील करना चाहते हैं तो वह श्रीमती रूबी कौशल, सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, दिल्ली नगर कला आयोग, कोर-6ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को इस पत्र के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर की जा सकती है।

भवदीय,
श्री किशोर कुमार
OR (राजीव कुमार गौड़)
सहायक सचिव(त.)/
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी